न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः—186/2025 (जी.सी.एम.एस. नं.)
(खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के—2210)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम्

श्री सुभाष पुत्र श्री सुरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता)।
मैसर्स— बालाजी फूड्स,17 एलएम अनूपगढ़।

—अप्रार्थी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनूपगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

दिनांकः—27.08.2025

—:निर्णयः—

यह इस्तगासा **श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी** कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को समय दोपहर 12:00 बजे को, **मैसर्स—बालाजी फूड्स, 17 एलएम, अनूपगढ़, पर पहुँचा मौके पर विक्रेता श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता)** को अपना परिचय दे कर संस्थान के फ्रीज में एक प्लास्टिक केन में रखे **खुले पनीर** के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ्रीज में प्लास्टिक केन में रखे खुले पनीर लगभग 7—8 किलों को आमजन में बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से पनीर नमूना जॉच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुए व्यक्त की मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मैंने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे **पनीर** में से 01 किलों पनीर विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा पनीर का नगद भुगतान 280 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और मेरे भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर 01 किलों को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ—सुथरे सूखें डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक फॉरमेलिन की 20—20 बूँदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 4 डिब्बों पर लेबल तैयार कर विपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के—2210 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

मोटे खाकी कागज में लपेट कर को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी ओ. श्री गंगानगर की आरवादन्युदा पेपर स्लिप नं के–2210 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एव रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर शील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता)** एव गवाहन ने भी पढ़कर समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। कई रिपोर्ट मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न 6 की छ. प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म स 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म स. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म स. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म स 6 की एक प्रति के आउटर कवर मे सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. श्रीगगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्रांक क्रमांक /एफएसएसए/2024/274–275 दिनांक 16.04.2024 के अनुसार खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमूना **सबस्टैण्डर्ड फूड** होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. श्रीगगानगर ने विक्रेता को पुन. जाच हेतु पत्रांक क्रमांक एफएसएसए/2024/274–75 दिनाक 16.04. 2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने कोई आवेदन नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेत राम ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी गंगानगर को दिनाक 25.06.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। उक्त पत्र परिवाद संग संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी. श्रीगगानगर ने उक्त केस के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक –एफएसएसए/2024/606–07 दिनांक 02.07.2024 द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण मे श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक व विक्रेता), मेसर्स–बालाजी फूड्स 7 एलएम, अनूपगढ, से खाद्य पदार्थ पनीर **सबस्टैण्डर्ड फूड** का विक्रय करके **FSSA** एक्ट 2006 की धारा 26 (2) (ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा–51 मे निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

प्रकरण दर्ज रजि. किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सारस्वत उपस्थित आयें। जवाब हेतु कई अवसर प्रदान करने के उपरांत भी जवाब पश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **पनीर** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.309/Act/2024/309** दिनांक **02.04.2024** में खाद्य पदार्थ **पनीर एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2210 Sub-Standard** पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोडता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए 2006 धारा 26(2)(।।), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(।।), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **पनीर** हेतु **विक्रेता श्री सुभाष पुत्र श्री सूरजाराम महिया (मालिक) मैसर्स–बालाजी फूड्स, 17 एलएम, अनूपगढ,** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **पनीर Substandard Food** पाये जाने पर **1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक--27.08.2025 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
अनूपगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ